न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः—73/2024

1. चन्द्रभान उर्फ बवली
2. धर्मवीर पुत्रान नबाव सिंह
3. नीतू पुत्री नबाव सिंह
4. भरत सिंह पुत्र किशन सिंह समस्त जातियान जाट निवासी नगला तेरहियां तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अजयसिंह
2. उदयसिंह
3. मोहन सिंह पुत्रान मूल चन्द
4. सतीश
5. अशोक पुत्रान लाल सिंह समस्त जातियान जाट निवासी नगला तेरहिया तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट।
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—19.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 224 रकवा 0.18, 276 रकवा 0.29है0, 277 रकवा 0.15है0, 457/0.12है0 बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सैटिलमेन्ट में खसरा नम्बरान को निम्न प्रकार से परिवर्तित किया गया है खसरा नम्बर 160 को 224, खसरा नम्बर 204 को दो भागों में विभक्त 204मिन व 205 को संयुक्त कर खसरा नम्बर 276 एवं 204मिन का खसरा नम्बर 277 व खसरा नम्बर 343 के स्थान पर खसरा नम्बर 457 कायम किये गये है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बाबा व पिता किशनसिंह व करनसिंह सगे भाई थे तथा वादपत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी में बहिस्सा बराबर के राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार राज0 काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से बदस्तूर चले आ रहे थे तथा उक्त आराजी पर मौके पर कब्जा काश्त पूर्वजों के समय से लेकर आज तक निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उक्त सम्पूर्ण आराजी का इन्द्राज गलती से बिना किसी सक्षम/वैधानिक आदेश के अप्रार्थीगण के बाबा करनसिंह के नाम कर दिया है उक्त इन्द्राज को राजस्व कर्मचारियों ने कतई गलत व कानून एवं मौके खिलाफ दर्ज किया है प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में हो रहे उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं हुई

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में हो रहे उक्त गलत इन्द्राज की ज़ानकारी तब हुई जब प्रार्थीगण ने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिये दिनांक 01.08.2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के बाद राजस्व रिकार्ड में गलत व गैर कानूनी हो रहे इन्द्राज की जानकारी होने पर जब अप्रार्थीगण से उनके नाम हो रहे गलत खातेदारी इन्द्राज गैर कानूनी रूप से तुम्हारे नाम दर्ज कर दिया है उक्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम कराने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण ने स्पष्ट मना कर दिया एवं विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 224/0.18, 276/0.29, 277/0.15, 457/0.12 बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजीयत हम अप्रार्थीगण को हमारे पूर्वज बाबा करनसिंह से प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज परबाबा चुन्नी के दो पुत्र हमारे बाबा करनसिंह व प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह थे हमारे परबाबा चुन्नी पर हमारी इस आराजी के अलावा अन्य आराजीयात शेरी खुर्द व अन्य जगह भी थी इन आराजीयों को हमारे परबाबा चुन्नी से प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम आ गई इन दोनों आराजीयों को काश्तकारी अधिनियम के पूर्व हमारे पूर्वज चुन्नी ने अपने दोनों पुत्रों को अलग–अलग नाम करवा दी इस प्रकार प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम हमारी आराजी के अलावा पूर्वजों की दूसरी अन्य आराजी आई है इस बावत् मुकदमा पूर्व में भी आर.ए.ए. भरतपुर व राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहे हैं। इन दोनों आराजीयों जो हमारे पूर्वजों से हमारे बाबा करनसिंह व प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम पूर्व से आई हैं इसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से ही है इन आराजीयों को आज लगभग 60–70 वर्ष हो चुके हैं अब तक कोई विवाद नहीं रहा अब जानबूझकर प्रार्थीगण ने हमारी खातेदारी की उक्त आराजी को हडपने के लिए यह झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो इसी विनाय पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बाबा करनसिंह व किशनसिंह ने अपने–अपने हिस्से में पूर्व में आराजीया अलग–अलग आई हैं उक्त आराजी हमें हमारे पूर्वज बाबा के हिस्से में आई आराजी से प्राप्त हुई है तो फिर हमारा प्रार्थीगण को कोई धमकी देने का प्रश्न ही नहीं होता है और ना ही हमने प्रार्थीगण को कोई धमकी दी है इसलिए उक्त वाद बावत् कोई भी धमकी नहीं दी है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से व हमारी उक्त आराजी को जबरन हडपने की नीयत से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों की छोडी हुयी आराजी है उक्त आराजी का खातेदारी इन्द्राज बिना किसी आदेश के अप्रार्थीगण के बाबा करनसिंह के नाम गलत दर्ज कर दिया है जबकि उक्त विवादित आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण का है एवं आज भी बदस्तूर विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण को ताफैसला बाद जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजीयत हम अप्रार्थीगण को हमारे पूर्वज बाबा करनसिंह से प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज परबाबा चुन्नी के दो पुत्र हमारे बाबा करनसिंह व प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह थे हमारे परबाबा चुन्नी पर हमारी इस आराजी के अलावा अन्य आराजीयात शेरी खुर्द व अन्य जगह भी थी इन आराजीयों को हमारे परबाबा चुन्नी से प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम आ गई इन दोनों आराजीयों को काश्तकारी अधिनियम के पूर्व हमारे पूर्वज चुन्नी ने अपने दोनों पुत्रों को अलग–अलग नाम करवा दी इस प्रकार प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम हमारी आराजी के अलावा पूर्वजों की दूसरी अन्य आराजी आई है इस बावत् मुकदमा पूर्व में भी आर. ए.ए. भरतपुर व राजस्व मण्डल अजमेर में चल रहे हैं। इन दोनों आराजीयों जो हमारे पूर्वजों से हमारे बाबा करनसिंह व प्रार्थीगण के बाबा किशनसिंह के नाम पूर्व से आई हैं इसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से ही है इन आराजीयों को आज लगभग 60–70 वर्ष हो चुके हैं अब तक कोई विवाद नहीं रहा अब जानबूझकर प्रार्थीगण ने हमारी खातेदारी की उक्त आराजी को हडपने के लिए यह झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, 2021–2024, 2020, 2012–2015 एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबंदीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों की छोडी हुई आराजी है। चुंकि उक्त आराजी विवादित पैत्रिक है, उक्त आराजी में उभयपक्षकारान के हक निहित होना प्रतीत होते है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 224/0.18, 276/0.29, 277/0.15, 457/0.12है0 बाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर